भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947

इस अधिनियम द्वारा माउन्ट बेटन योजना 3 जून 1947 को वैधानिक रूप दिया गया। इसमें भारत अथवा पाकिस्तान के लिए नए संविधान का प्रावधान नहीं था; अपितु दोनों राज्यों की संविधान सभाओं को पूर्ण अधिकार था कि वे अपने लिए अलग संविधान बना सकती थी।

प्रावधान –

1) 15 अगस्त, 1947 से भारतीय अंग्रेजी प्रांतों को भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र राज्यों में बांट दिया गया।

2) पाकिस्तान में सिंध, बलोचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमाप्रांत, पश्चिम पंजाब और पूर्वी बंगाल, जिसकी सीमाएं आयोग द्वारा निश्चित की जाएंगी, सम्मिलित होंगे।

3) भारत के शेष अंग्रेजी प्रांत स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होंगे।

4) भारतीय रियासतों पर अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठता समाप्त कर दी गई।

5) भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता मिल गई कि वे भारत तथा पाकिस्तान में जिसमें

चाहे, सम्मिलित हो अथवा न भी हो।

6/ प्रत्येक राज्य का अपना गवर्नर जनरल होगा।

7/ प्रत्येक राज्य के विधान मंडल को यह अनुमति होगी कि वह अपने देश के लिए स्वेच्छानुसार कानून बनाए।

8/ प्रत्येक राज्य की संविधान सभा ही अपने देश में विधानमंडल का कार्य करेगी।

9. प्रत्येक राज्य में भारत सरकार अधिनियम, 1935 लागू रहेगा जब तक कि उसमें परिवर्तन अथवा संशोधन न कर लिए जाएं।

10. भारत स्वतंत्रता अधिनियम को दोनों राज्यों पर लागू करने के लिए गवर्नर जनरल उत्तरदायी होंगे।

11. भारतीय सेना का भी भारत तथा पाकिस्तान में बंटवारा किया गया।

12. पुराने भारतीय जनपद सेवा अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिए भी प्रावधान किए गए।

13. इसी प्रकार भारतीय वित्त खाते की लेखा परीक्षण तथा भारत सचिव के कार्यों को चलाने के लिए प्रबंध किया गया।

14. इस अधिनियम का नाम भारत स्वतंत्रता अधिनियम रखा गया।

14 अगस्त, 1947 – पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ।
15 अगस्त, 1947 – भारत स्वतंत्र हुआ।

महत्व –

1. भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य का अंत
2. भारत में अंग्रेजी क्राउन की सत्ता समाप्त
3. गवर्नर जनरल और गवर्नरों को संवैधानिक अधिकारी के रूप में काम कराना था।
4. भारत से साम्राज्यीय युग की समाप्ति

— o o —